In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No./0/8/2017/ 9(120)/ XXVII(8)/2017, dated QS December, 2017 for general information.

## Government of Uttarakhand Finance Section-8 No/0/8/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017

Dehradun :: Dated :: OF December, 2017
Notification

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

## The Uttarakhand Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2017

# Short title and Commencement

- 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force with effect from 15<sup>th</sup> day of November, 2017.

# Amendment in Rule 43

2. In rule 43 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the principal rules), after sub-rule (2), the following explanation shall be inserted, namely:-

**Explanation** - For the purposes of rule 42 and this rule, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies shall exclude the value of supply of services specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 42/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 27<sup>th</sup> October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number GSR 1338(E) dated the 27<sup>th</sup> October, 2017.

# Amendment in Rule 54

3. In sub-rule (2) of rule 54 of the "Principal Rules", for the words "supplier shall issue a tax invoice or any other document in lieu thereof", the words "supplier may issue a tax invoice or any other document in lieu thereof" shall be substituted.

Page 8 of 14

## Insertion of new Rule 97A

**4.** After rule 97 of the "Principal Rules", the following rule shall be inserted, namely:-

97A. Manual filing and processing. – Notwithstanding anything contained in this Chapter, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate on the common portal shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.

# Insertion of new Rule 107A

5. After rule 107 of the "Principal Rules", the following rule shall be inserted, namely:-

107A. Manual filing and processing. – Notwithstanding anything contained in this Chapter, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate on the common portal shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.

# Insertion of new Rule 109A

**6.** After rule 109 of the "Principal Rules", the following rule shall be inserted, namely:-

**109A.** Appointment of Appellate Authority- (1)Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to -

- (a) the Additional Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Joint Commissioner;
- (b) the Additional Commissioner (Appeals)/Joint Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Deputy or Assistant Commissioner or State Tax Officer,

within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person.



- (2) An officer directed under sub-section (2) of section 107 to appeal against any decision or order passed under this Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to
  - (a) the Additional Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Joint Commissioner;
  - (b) the Additional Commissioner (Appeals)/Joint Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Deputy or Assistant Commissioner or the State Tax Officer,

within six months from the date of communication of the said decision or order.

Insertion of new FORM-GST-RFD-01 A 7. After the "FORM GST RFD-01", the following forms shall be inserted, namely:-

#### "FORM-GST-RFD-01 A

[See rules 89(1) and 97A]

Application for Refund (Manual)

(Applicable for casual taxable person or non-resident taxable person, tax deductor, tax collector and other registered taxable person)

1.	GSTIN / Temporary ID								
2.	Legal Name								
3.	Trade Name, if any								
4.	Address							7	
5.	Tax period (if applicable)	From	<year><n< td=""><td>Ionth&gt;</td><td>To &lt;</td><td><year><mor< td=""><td>nth&gt;</td><td></td><td></td></mor<></year></td></n<></year>	Ionth>	To <	<year><mor< td=""><td>nth&gt;</td><td></td><td></td></mor<></year>	nth>		
6.	Amount of Refund Claimed(Rs.)		Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
		Centra	al tax						
		-	/UT tax						
		L STEEL STEEL STEEL STEEL	ated tax						
		Cess							
		Total							
7.	Grounds of Refund	(a)	Excess b	alance in E	Electronic Cas	sh Ledger			
	Claim (select from	(b)			with payme				
	drop down)	(c)			services- with		t of tax (ac	cumulated IT	C)
		(d)	ITC acci	umulated du o section 5	ue to inverted	l tax structur	e[under cla	iuse (ii) of fi	rst

0	(e)	On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer(with payment of tax)
	(f)	On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer (without payment of tax)
	(g)	Recipient of deemed export

#### **DECLARATION** [second proviso to section 54(3)]

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name -

Designation / Status

#### DECLARATION [section 54(3)(ii)]

I hereby declare that the refund of ITC claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making 'nil' rated or fully exempt supplies.

Signature

Name -

Designation / Status

#### DECLARATION [rule 89(2)(f)]

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

Name -

Designation / Status

## SELF- DECLARATION [rule 89(2)(1)]

I/We \_\_\_\_\_ (Applicant) having GSTIN/ temporary Id -----, solemnly affirm and certify that in respect of the refund amounting to Rs. ---/ with respect to the tax, interest, or any other amount for the period from--to----, claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

Signature

Name -

Designation / Status

(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54.)

#### 8. Verification

I/We<Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

I/We declare that no refund on this account has been received by me/us earlier.

Place Date Signature of Authorised Signatory

(Name)

Designation/Status

#### Annexure-1

#### Statement -1 [rule 89(5)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

(Amount in Rs.)

Turnover of inverted rated supply of goods	Tax payable on such inverted rated supply of goods	Adjusted total turnover	Net input tax credit	Maximum refund amount to be claimed [(1×4÷3)-2]
1 1	2	3	4	5.

#### Statement- 3A [rule 89(4)]

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount (Amount in Rs.)

	Adjusted total turnover	Refund amount $(1\times2\div3)$
2	3	4
	2	THE PARTY OF THE P

#### Statement-5A [rule 89(4)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit / SEZ developer without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount

(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4
<i>y</i> .			

### FORM-GST-RFD-01 B

[See rules 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) and 97A]

## Refund Order details

1.	AR	1																						
2.	GST ID	IN A	Ter	npoi	rary			×																
3.	Leg	al N	ame																			7.		
4.	Filir	ng D	ate							1 3					1		1							
5.	Rea	son	of R	efun	d											ď								
6.	Fina	ncia	l Ye	ear																		Ye.		N,
7.	Mor	nth	1/4																	ī.				
8.	Orde	er N	o.:																					
9.	Orde Date		suan	ce																				
10.	Payı No.:		Ad	vice																				
11.	Payr Date		Ad	vice																				
12.	Refi	ınd ]	ssue	ed To	o:	D	rop	dov	vn: ˈ	Гахј	oaye	er / (	Con	sum	er V	Velf	are	Fun	d					
13.	Issue	ed by	y:													10								-
14.	Rem	arks	s:										li T									ī,	74	
15.	Тур	e of	Orde	er		D	rop	Dov	wn:	RFI	<b>)-</b> 0	4/ 0	6/0	7 (P	art A	4)		-						
16.	Deta	ils c	f Re	efund	d An	nour	nt (A	As p	er tl	ne m	anu	ally	issi	ued (	Ord	er):	X							
Description				ted [						l Ta	-					JT 1	ax				Ce	ess		
	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total	Тах	Interest	Penalty	Fees	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
a. Refund amount claimed																								
b. Refund Sanction ed on provisional basis	S																					***		
c. Remaini ng Amount														2										7

d. Refund amount in- admissib le																				
e. Gross amount to be paid								75												
f. Interest (if any)											1									
g. Amount adjusted against outstand ing demand under the existing law or under the Act																			ż	
h.Net amount to be paid																				
17.	Atta	chm	ents	(O <sub>1</sub>	rders	s)		RFI	<b>)-0</b> 4	; RI	FD-	06;	RFI	07	Pa (Pa	ırt A	.)			en l
Date: Place:								Nan Des	ne: igna	tion	OSC : :ess:									

(Radha Raturi) Principal Secretary

## उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग—8 संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017

देहरादूनः दिनांकः 05 दिसम्बर, 2017

## अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपिठत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेतर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

#### उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2017

संक्षिप्त नाम 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2017 एवं प्रारम्भ है।

(2) ये दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से प्रवृत्त होंगे ।

नियम 43 में 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017(जिसे इसमें एतिस्मिन पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के संशोधन नियम 43 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्निलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"स्पष्टीकरण—नियम 42 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों के संकलित मूल्य में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1338(क), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 42/2017-एकीकृत कर, तारीख 27 अक्तूबर, 2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रदाय के मूल्य को अपवर्जित किया जाएगा।

नियम 54 में 3. "मूल नियम" के नियम 54 के उपनियम (2) में, "पूर्तिकार उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई संशोधन अन्य दस्तावेज जारी करेगा" शब्दों के स्थान पर, "पूर्तिकार उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

नया नियम 4. "मूल नियम" के नियम 97 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :97क का
अन्तःस्थापन

97क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के
होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी
आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना,
आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन,
संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या

प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा ।";

नया नियम 5 107क का अन्तःस्थापन

"मूल नियम" के नियम 107 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः 107क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संस्चना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी स्चना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संस्चना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा।

नया नियम 109क का अन्तःस्थापन

"मूल नियम" के नियम 109 के पश्चात्, निम्निलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-109क. अपील प्राधिकारी की नियुक्ति--(1) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, तीन मास के भीतर,-

> (क) अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो ;

> (ख) अपर आयुक्त (अपील)/संयुक्त आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या राज्य कर अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

(2) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन निदेशित कोई अधिकारी, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर,--

(क) अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो ;

(ख) अपर आयुक्त (अपील)/संयुक्त आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या राज्य कर अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

नया प्ररूप 7. "प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01" के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, जी.एस.टी. अर्थात्:-

01क का

आर.एफ.डी.

अन्तःस्थापन



## "प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01क [नियम 89(1) और नियम 97क देखें] प्रतिदाय के लिए आवेदन (मैनुएल रूप से)

(नैमितिक कराधेय व्यक्ति, अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर की कटौती करने वाले व्यक्ति, कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति या अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जी.एस.टी.आई.एन						F 17 17		
	./ अस्थाई पहचान								
	पत्र								
2.	विधिक नाम						THE PA		
3.	व्यापार का नाम,						13.5		
	यदि कोई हो								
4.	पता								
5.	कर की अवधि (यदि लागू हो)	<	वर्ष ><मास	> से	<वर्ष	><मास> त	क		
6.	दावा किए गए प्रतिदाय की रकम	अधिनि	यम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
	(₹∘.)	केंद्रीय	कर	11,71		The state of			
		राज्य/स	<b>ां</b> घ						
		राज्यक्षे	त्र कर			. 3			
		एकीकृत	न कर						
		उपकर				7.			4247.05
		योग				11 +			
7.	दावा किए गए	(ক)	इलेक्ट्रानिव	क जमा खात	ने में आधिक्य	अधिशेष			100
	प्रतिदाय के आधार	(ख)	सेवाओं क	ा निर्यात -	कर के भुगता	न के साथ			
	(सामने में से चुनें)	(ग)	माल/सेवा	ओं का निर्य	ति – कर के ध	भुगतान के '	बिना (संचित	आई.टी.सी.)	
- 1		(ঘ)	विपरीत क	र संरचना	के प्रति शोध्य	संचित अ	गई.टी.सी. [ध	ारा 54(3) के	पहले परंतुक
			के खंड (ii	) के अधीन					
		(ទ)	विशेष आ	र्थिक जोन इ	इकाइयों/ विशेष	भ आर्थिक उ	नोन विकासक	र्ताओं को वि	र गए प्रदाय
			के कारण	(कर के भुग	तान के साथ)				
		(च)		र्थेक जोन इ र के भुगतान		आर्थिक जो	न विकासकत	ओं को किए	गए प्रदाय के
		(छ)	समझा गर	या निर्यात व	ग प्राप्तिकर्ता				

घोषणा (धारा 54(3) का दूसरा परंतुक।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात किया गया माल किसी निर्यात शुल्क के अध्यधीन नहीं है । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने उस प्रदाय पर भुगतान किए गये एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का कोई दावा नहीं किया है जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर

नाम --

पदनाम/प्रास्थिति

#### घोषणा (धारा 54(3)(ii))

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए आई.टी.सी. प्रतिदाय में शून्य दर वाली या पूर्णतया छूट-प्राप्त प्रतिदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई.टी.सी. सम्मिलत नहीं है ।

हस्ताक्षर नाम –

पदनाम/प्रास्थिति

### घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई / विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने आवेदक के द्वारा संदत्त कर के ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है ।

हस्ताक्षर

नाम –

पदनाम/प्रास्थिति

	स्वघोषणा [नियम 89(2)(छ)]
मैं/ हम	(आवेदक), जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता
हूं/ करती हूं/करते	हैं और प्रमाणित करता हूं/करती हूं/करते हैं कि से तक कि अवधि
के लिए कर, ब्याज	या अन्य किसी राशि से संबंधित रूपये की राशि के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में
जिसका दावा किया	गया है, उसके बारे में ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर आरोपित नहीं किया गया
制	
हस्ताक्षर	
नाम –	
पदनाम/प्रास्थिति	
(यह घोषणा उन अ	ावेदकों के लिए अपेक्षित नहीं है, जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड

(ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है ।)

#### 8. सत्यापन

मैं/ हम<करदाता का नाम>, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ करती हूं/करते हैं और यह घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य तथा सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि इसके पहले मैंने/हमने इस निमित्त कोई भी प्रतिदाय नहीं लिया है।

स्थान

तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

#### अनुबंध-।

## विवरण -1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय का प्रकार : विपरीत कर संरचना के कारण संचित शोध्य आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

माल की विपरीत कर दर पर प्रदाय का आवर्त	माल की ऐसी विपरीत कर दर पर संदेय कर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	दावा किये जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय की राशि  (1×4÷3)-2
1	2	3	4	5

### विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी) - प्रतिदाय राशि की संगणना

(राशि रूपये में)

		(1111)	01)
शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय की राशि (1×2÷3)
1	2	3	4

## विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाईयों/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को कर के भुगतान के बिना किए जाने वाले प्रदाय के कारण (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय की राशि की संगणना

(राशि रूपये में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय की राशि (1×2÷3)
	2	3	4

### प्ररूप-जीएसटी-आरएफडी-01 ख

## [नियम 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) और 97क देखें] प्रतिदाय आदेश के ब्यौरे

l.	एआरएन																								
2.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी											100													
3. विधिक नाम								28			×				T			4							
4.	4. फाइल किए जाने की तारीख											Į.													
5. प्रतिदाय का कारण					L				7		5														
6.	6. वित्तीय वर्ष						- 16					3.7	Ŧ.			9.7									
7.	7. मास					1		10						-		-	t	+							
8.	<ul> <li>8. आदेश सं.:</li> <li>9. आदेश को जारी किए जाने की तारीख:</li> <li>10. पेमेंट एडवाइस की सं.:</li> <li>11. पेमेंट एडवाइस की तारीख:</li> </ul>								-17		T	w			<u> </u>	H			4.						
9.							÷								-	180						-			
10.												Ť								-	7				
11.							T							No.											
12.	जिसको प्रतिदाय जारी किया गया :				ड्रा	प ड	<b>उ</b> न	: क	रदात	п/3	पभो	क्ता	कल	याण	निर्व	ध						,			
13.	के द्वारा जारी :																		30.00		-	100			************
14.	टिप्पणी :		- 84				-		T					-			-	7.8	-			Τ.			- TEN
15.	आदेश का प्रकार					ड्राप डाउन : आरएफडी - 04/ 06/ 07 (भाग क)																			
16.	प्रतिदाय राशि के ब्य	गौरे (	(मैन्:	अल	रूप	से उ							18.010	1000	- (		,	-	411						71
	विवरण एकीकृत कर					केन्द्रीय कर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर उपकर																			
क टाग	ा की गई प्रतिदाय	ŀŝ	ब्याज	आदिन	91 <del>och</del>	भट्टा	योग	ě	ब्याज	आस्त्रि	9 och	भट्य	योग	) P	द्यात	T-ETITIC	शल्क	भट्य	योग	क्	द्याज	आस्ति	शल्क	भत्य	योग
राशि	THE STATE																								
ख. अनंतिम आधार पर मंजूर किया गया प्रतिदाय										iv.															
ग. अतिशेष राशि														7)	ň.										
घ. अस्वीकार्य प्रतिदाय राशि																									
	ल राशि, जिसका किया जाना है						- 1						10.												
च. ब्याज (यदि कोई हो)							П				6.0														
छ. विद्यमान विधि के अधीन या अधिनियम के अधीन बकाया मांग के स्थान पर समायोजित राशि										01															

1

ज. शुद्ध राशि, जिसका भुगतान किया जाना है										
17. कुर्की (आदेश)	आरएफडी -04; आरएफडी - 06; आरएफडी 07 (भाग क)									
तरीख:	हस्ताक्षर (डीएससी):									
स्थान :	नाम :									
	पदनाम :									
	कार्यालय का पता :									

(राधा रतूड़ी) प्रमुख सचिव

सं0 /0/8/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1— राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

- 2— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन०आई०सी०
- 6- गार्ड फाईल हेतु।

(हीरा सिंह बसेड़ा) अनु सचिव